राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11 (8)/ग्रा.वि./नरेगा/पद सृजन/2010 जयपुर दिनांक 22 NOV 2010

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित पदो पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों में सृजित पदों की अवधि विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 26.2.2010 द्वारा दिनांक 28.2.2011 तक बढायी गयी थी। तत्पश्चात् विभाग के आदेश एफ 4(8)ग्रावि/नरेगा/वा. व्यय/09–10 दिनांक 2.08.2010 के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर कनिष्ठ लिपिक के एक पद की स्वीकृति राज्य सेवा से सेवानिवृत कार्मिक के आधार पर भरने हेतु दी गयी थी। राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि कई जिलो यथा जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर एवं झुन्झुनू में योजनान्तर्गत मजदूरो की मांग कम होने के कारण भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक व्यय 6% की सीमा से अधिक हो रहा है। योजनान्तर्गत कार्मिकों पर व्यय स्थायी प्रकृति का है। मजदूरी की मांग कम होने पर भी पंचायतो एवं पंचायत समितियों में नियोजित कार्मिको को वेतन देना पडता है, जिसके कारण प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो जाता है। इस संबंध में आवश्यक है कि विभाग के आदेश दिनांक 30.6.2010 के अनुसार प्रशासनिक मद में होने वाले व्यय को हर हालत में 6 प्रतिशत की सीमा में ही रखा जावें। इस हेतु पंचायतो एवं पंचायत समितियों में नियोजित स्टाफ का समानीकरण किया जाना आवश्यक है। कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ही पदों को भरा जावें तथा आवश्यक हो तो संविदा स्टॉफ में कटौती की जावें, जिससे की भारत सरकार के दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जा सके।

प्रत्येक पंचायत समिति में चार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन का पद स्वीकृत है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम रोजगार सहायक एवं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का पद स्वीकृत है। अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि जिन ग्राम पंचायतो में विधुत कनेक्शन एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी

स्थिति में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन आवश्यकतानुसार ही लगाये जावें। सेवा ऐजेन्सी से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवायें आवश्यकतानुसार ही ली जावें । यदि किसी ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग नहीं है तो उस अवधि के लिये सेवायें नहीं ली जावें । कार्य की मांग के आधार पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन की सेवायें दो या तीन या इससे अधिक ग्राम पंचायतों के कलस्टर पर ली जावें इसी प्रकार यदि किसी ग्राम पंचायत में काम नहीं है तो वहां नियोजित ग्राम रोजगार सहायक को दूसरी ग्राम पंचायत जिसमें रोजगार की अधिक मांग है, का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है।

इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जाते है कि अगले वर्ष अनुबन्ध करते समय अनुबन्ध में यह शर्त जोडी जानी आवश्यक है कि किसी संविदा कार्मिक की सेवाओ की यदि अनुबन्ध अवधि के दौरान आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अनुबन्ध अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक का अनुबंध जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा ही किया जावें। उसमें यह शर्त जोडी जावें कि कार्य की आवश्यकतानुसार इनकी सेवायें जिले में किसी भी पंचायत समिति में ली जा सकती है।

योजनान्तर्गत अन्य संविदा कार्मिकों का भी नियोजन कार्य की मांग एवं आवश्यकतानुसार ही किया जावें। इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावें कि विभाग के निर्देश दिनांक 30.6.10 के अनुसार ही प्रशासनिक मद में होने वाले व्यय को 6 प्रतिशत की सीमा में ही रखा जावें।

भवदीय

13/11/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–
1. निजी सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम व द्वितीय, ज़िला परिषद, समस्त राज0।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त(द्वितीय), ईजीएस